**संख्या-223/2016/989/22-2-2016-17(191)/2009**

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊः दिनांक 03 नवम्बर, 2016***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरपाल पुत्र श्री सवाचन्द, निवासी-जनपद-गाजियाबाद वर्तमान हापुड की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17010/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/19-05-2016 दिनांक 01-06-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरपाल पुत्र श्री सवाचन्द, निवासी-खैरपुर, थाना-पिलखुवा, जिला-गाजियाबाद वर्तमान हापुड का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19/20.10.1985 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू, फरसा व लाठी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-144/1986 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 10-10-1988 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 सहअभियुक्त की अपील विचारण के दौरान मृत्यु, 01 सहअभियुक्त वर्ष 2000 में रिहा तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.03.2016 तक 28 वर्ष 06 माह 19 दिन की अपरिहार एवं 37 वर्ष 00 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज में गम्भीर श्रेणी की प्रवृत्ति में आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध का अवसर होने तथा बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, पुनः अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने तथा बन्दी के परिवार की समाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अमरपाल (बन्दी संख्या-4237) पुत्र श्री सवाचन्द, निवासी जनपद-गाजियाबाद वर्तमान हापुड की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

**संख्या-223/2016/989/(1)/22-2-2016 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in